



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18032020-218733
CG-DL-E-18032020-218733

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 116]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 12, 2020/फाल्गुन 22, 1941

No.116]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 12, 2020/PHALGUNA 22, 1941

vf[ky Hkkjrh; rduhdh f'k{kk ifj"kn

vf/k l puk

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2020

Qk-l- vHkkrf'ki@ih-.M , -ih-@vk-Mh-, y-LVMvyku@2020-& अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 का 52) की धारा 10(ख)(छ)(झ)(ज)(ड)(ढ) तथा (ण) के साथ पठित धारा 23 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (अभातशिप) द्वारा बनाए गए स्टैंडअलोन संस्थाओं के लिए मुक्त और दूरस्थ शिक्षा प्राप्ति (ओडीएल) दिशानिर्देश 2019 में संशोधन करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाती है :-

- क) इन दिशानिर्देशों को स्टैंडअलोन संस्थाओं के लिए अभातशिप (मुक्त और दूरस्थ माध्यमों से शिक्षा प्राप्ति) दिशानिर्देश, 2020 कहा जाएगा।
ख) ये दिशानिर्देश इनके सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।
- स्टैंडअलोन संस्थाओं के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (मुक्त और दूरस्थ माध्यमों से शिक्षा प्राप्ति) दिशानिर्देश, 2019 (इसके पश्चात् इन्हें उक्त दिशा-निर्देश कहा जाएगा) के विद्यमान अनुबंध IX के दिशानिर्देशों में नीचे दी गई तालिका के अनुसार संशोधनों को शामिल किया जाता है तथा इन्हें तदनुसार पढ़ा जाएगा:

vHkkrf'ki fn'kkfun'kk] 2019 d [k.Mk e l'kk/ku bl idkj g

fo eku [k.M	संशोधित खण्ड
अनुबंध IX: 5- f'k{kkFkh l gk;rk dUnk e tu'kfä vkj vU; çdkj dh l gk;rk eg;k djokuk % 5-1- चार (4) क्रेडिट के प्रत्येक सिद्धान्त (थ्योरी) पाठ्यक्रम के लिए अर्हक परामर्शदाता की संख्या : प्रत्येक 500 विद्यार्थियों के लिए 1 से 2 तक 5-2- मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) कार्यक्रम के लिए प्रयोगशाला की आवश्यकता : मान्यता प्राप्त स्टैण्डअलोन संस्था की एक प्रयोगशाला होनी चाहिए, जो उस संस्था में परंपरागत विधा में कम से कम 5 वर्ष की अवधि का एक समान पाठ्यक्रम चला रही हो।	अनुबंध IX : 5- f'k{kkFkh l gk;rk dUnk e tu'kfä vkj vU; çdkj dh l gk;rk eg;k djokuk % 5-1- (क) प्रत्येक सिद्धान्त (थ्योरी) पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों की संख्या के लिए योग्य काउंसलरों की संख्या 1:100 (ख) दो (2) क्रेडिट के प्रत्येक व्यावहारिक पाठ्यक्रम के लिए योग्य पर्यवेक्षकों की संख्या: 1 अथवा अधिक 5-2- मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) कार्यक्रम के लिए प्रयोगशाला की आवश्यकता : मान्यता प्राप्त स्टैण्डअलोन संस्था की एक प्रयोगशाला होनी चाहिए, जो उस संस्था में परंपरागत विधा में कम से कम 3 वर्ष की अवधि का एक समान पाठ्यक्रम चला रही हो।

प्रो० राजीव कुमार, सदस्य सचिव
[विज्ञापन-III/4/असा./502/19]

ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th February, 2020

F.No. AICTE/P&AP/ODL Standalone/2020.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 23 read with Section 10(b) (g)(i)(j)(m)(n) and (o) of All India Council for Technical Education Act, 1987, the AICTE hereby makes the following guidelines further to amend the AICTE (Open and Distance Learning Education) Guidelines for Standalone Institutions, 2019, namely:-

- These guidelines may be called the All India Council for Technical Education (Open and Distance Learning Education) Guidelines for Standalone Institutions, 2020.
 - These shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- In the All India Council for Technical Education (Open and Distance Learning Education) Guidelines, 2019 for Standalone Institution (hereinafter referred to as the said guidelines), the following amendments have been incorporated in existing Annexure IX of the guidelines as per the table given and shall be read accordingly.

Amendment in the Clauses of AICTE Guidelines, 2019:

Existing Clause	Amended Clause
Annexure IX: 5. Deployment of manpower and other support at LSCs: 5.1. Number of qualified counsellors per theory course of 4 credits: 1 to 2 for every 500 students. 5.2 . The laboratory needed for the ODL programme on offer should be in a recognised Institution and running a similar course in conventional mode for a period of not less than 5 years.	Annexure IX: 5. Deployment of manpower and other support at LSCs: 5.1 (a) Number of qualified counsellors to number of students per theory course: 1: 100 (b) Number of qualified supervisors per practical course of 2 credits: 1 or more 5.2 The laboratory needed for the ODL programme on offer should be in a recognised Institution and running a similar course in conventional mode for a period of not less than 3 years.

Prof. RAJIVE KUMAR, Member Secy.
[ADVT.-III/4/Extty./502/19]